आज़ादी का अमृत महोत्सव

नवोदय विद्यालय समिति
(शिक्षा मंत्रालय, विद्यालयी शिक्षा एंव साक्षरता विभाग का एक स्वायत्त संस्थान)
भारत सरकार,
क्षेत्रीय कार्यालय, सैक्टर 5,(शांति नगर, मेट्रो मास हॉस्पिटल के पास जयपुर(राज०)-302020

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
(An Autonomous Organization under Ministry of Education, Department of School Education& Literacy)
Govt. of India,
Regional Office, Sec. 05, Shanti Nagar, Behind Metro Mas Hospital, Mansarovar, Jaipur (Rajasthan) – 302020

Phone : 0141 – 2375110, Email nvsrojpr@mail.com, Visit us at https://navodaya.gov.in/nvs/ro/Jaipur/en/home

एफ. 76–1 (खण्ड–3)/नविस–जसं/स्थापना/परिपत्र/2026–27/878 – 938 दिनांक : 20.04.2026

ई–मेल

प्रति,

प्राचार्य
समस्त जवाहर नवोदय विद्यालय
अंतर्गत जयपुर संभाग

**विषयः जवाहर नवोदय विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयांयतर्गत सूचित किया जाता हैं कि प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा कार्यरत कर्मिचारियों को चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किये जाते है। चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत प्रस्ताव की जांच उपरान्त प्रस्ताव में पूर्ण रूप से दस्तावेज संलग्न कर प्रेषित नहीं किये जाते है, जिसके कारण चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने में अनावश्यक पत्राचार होने पर प्रकरण में देरी होती है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज /सूचना आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें:–

1. नवोदय विद्यालय समिति, मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 02.07.2012 एवं केन्द्रीय सेवा (मेडिकल अटेंडेंस) नियम और आदेश के तहत अस्पताल में रोगी इन–पेशेंट अर्थात भर्ती होने पर ही चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत के लिए योग्य है।
2. संबंधित रोगी कर्मचारी पर आश्रित है के लिए सेवा रिकार्ड संबंधी दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि।
3. संबंधित अस्पताल जहॉ रोगी अपना ईलाज करवाना चाहता है वह अस्पताल सीजीएचएस के पेनल में है या नहीं का सत्यापन करें यदि पेनल में शामिल है तो उसके साक्ष्य की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।
4. सीजीएचएस अस्पताल द्वारा जारी प्राक्कलन में संबंधित अस्पताल द्वारा सीजीएचएस उपचार हेतु दरों का विवरण उल्लेखित हों।

प्रस्ताव भेजने से पूर्व विद्यालय स्तर पर प्रकरण की नियमानुसार जांच कर अपनी अनुशंसा सहित प्रकरण इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें, जिससे कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

(डी.के. झा)
सहायक आयुक्त (स्थापना–1)